राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 921/2024

कैलाश चंद चौंमिया —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.02.2024
आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहकारी निरीक्षक के पद पर कार्यकारी विंग, कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहाकारिता, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, भरतपुर में 350 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के कार्यकारी विंग से ऑडिट विंग में राजस्थान सहकारी सेवा के प्रावधानों के विरूद्ध किया गया है, जो विधि—विरूद्ध एवं अनुचित है। अपीलार्थी नियमित रूप से कार्यकारी विंग में कार्य कर रहा है। अपीलार्थी को कभी भी ऑडिट विंग में नहीं लगाया गया है। अपीलार्थी के पास लेखा पक्ष का कोई डिप्लोमा, प्रशिक्षण या अनुभव भी नहीं है, जो सहकारी समितियों के ऑडिट विंग के पद के लिए आवश्यक होता है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को कार्यकारी विंग से ऑडिट विंग में स्थानान्तण किया गया है, जो नियमों के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को सहाकारी निरीक्षण, कार्यकारी विंग में उप रजिस्ट्रार, सहकारिता, अजमेर में कार्य करने दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहकारी निरीक्षक के पद पर कार्यकारी विंग, कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहाकारिता, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, भरतपुर में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 350 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> ***"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."***

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य